खादी की बिक्री पर छूट संबंधी प्रश्न सरकार के सक्रिय विचार विचाराधीन है। वर्ष 1997-98 के बजट अनुमान में खादी अनुदान के लिए बजट प्रावधान 84 करोड़ रुपये है जिसमें से छूट पर व्यय खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किया जाता है।

SSIs manufacturing glass bangles

3852. DR. RANBIR SINGH:
SHRI RAM NATH KOVIND:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it has been reported that 400 small scale units of Ferozabad manufacturing bangles and glasses have become sick;

(b) whether it has also been reported that there is no proper arrangement of water and electricity for labour working in these units;

(c) whether the Government propose to take some action in the matter;

(d) if so, details thereof; and

(e) if not, reasons therefor?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) and (b) No, Sir.

(c) to (e) Does not arise in view of (a) and (b) above.

हरियाणा द्वारा लक्ष्य प्राप्त किया जाना

3853. **श्री रामजीलाल: क्या उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हरियाणा सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री की रोज़गार योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या लाभार्थियों से बैंक गारंटी देने के लिए कहा जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या ऐसा करना नियमानुसार उचित है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) जी, हां। हरियाणा सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, हरियाणा में बैंकों द्वारा वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के लिए कुल मिलाकर 12025 आवेदकों के लक्ष्य के मुकाबले में 14749 आवेदकों को ऋण मन्जूर किये गए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) हरियाणा सरकार को किसी ऐसे मामले की जानकारी नहीं है जिसमें किसी बैंक ने लिखित में बैंक गारंटी के लिए कहा हो।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत, सिर्फ योजना के अन्तर्गत अर्जित की गई परिसम्पतियां ही बैंकों के पास गिरवी/रेहन/धरोहर के रूप में रहती हैं।

जूट पैकेज सामग्री अधिनियम में संशोधन

3854. **श्री नरेन्द्र मोहन:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि जूट पैकेज सामग्री अधिनियम के कारण चीनी मिलों को अत्यधिक खर्च वहन करना पड़ता है और जूट उद्योग को चीनी मिलों द्वारा दी गई सहायता से चलाया जा रहा है;

(ख) क्या सीमेंट उद्योग और चीनी उद्योग ने जूट पैकेट सामग्री अधिनियम में संशोधन करने की कोई मांग की है; और

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि जूट पैकेजिंग के स्थान पर सिंथेटिक पैकेजिंग का प्रयोग करने से सीमेंट उद्योग और चीनी उद्योग को राहत मिलेगी तथा इसके परिणामस्वरूप लागत में कमी आएगी?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) चीनी उद्योग ने सरकार को अभ्यावेदन दिया कि जूट बोरियो मे पैक की गई चीनी के प्रत्येक टन पर उद्योग को 100 रु० का घाटा होता है। उद्योग ने अनुमान लगाया है कि इस प्रकार यह वार्षिक घाटा 160 करोड़ रु० होगा।

(ख) जबकि चीनी उद्योग ने जूट पैकिंग आरक्षण आदेश से चरणबद्ध छूट के लिए अभ्यावेदन किया है, सीमेंट उद्योग ने तो इस आवश्यकता से पूर्ण छूट के लिए वकालत की है।

(ग) जी, हां। यदि सीमेंट तथा चीनी सिंथेटिक बोरियों में पैक की जाती है तो लागत में कमी आयेगी। इसके अतिरिक्त, सीमेंट यदि जूट की बोरियों की अपेक्षा सिंथेटिक बोरियों में पैक की जाती है तो किसी प्रकार की हानि नहीं होगी जैसे सीलन घाटा, बेकार होना, वातावरण प्रदूषण तथा स्वास्थ्य संकट आदि।